

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2285/2021

दिनांक : 23.10.2021

श्री उपेन्द्र शर्मा (RJ1017), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II को दिनांक 11.11.2021 से 15.11.2021 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम-02 जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4) / 05/2016 / 6544

दिनांक 23.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 52 दिनांक 18.10.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री उपेन्द्र शर्मा (RJ1017), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम-02 जयपुर महानगर-II

सहायक रजिस्ट्रार